न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 53/2016

वादीगण

1. मृतक डूंगरा पुत्र धनाजी के कायम मूकाम वारीसान
   1/1 अणसीदेवी पत्नि डूंगरा
   1/2 कमला पुत्री डूंगरा
   1/3 अनु पुत्री डूंगरा
   1/4 मगा पुत्र डूंगरा
   1/5 देदा पुत्र डूंगरा
2. दौलाराम पुत्र डूंगराजी जातियान जाट निवासीयान मीरपूरा हाल निवासी कोटडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. लखमा पुत्र धनाजी जाति जाट निवासी मीरपूरा हाल निवासी कोटडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर
2. भूमिधारी तहसीलदारजी, रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई
2. प्रतिवादी संख्या 02 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा

–: निर्णय :–

दिनांक 25.11.2021

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा कोटडा तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की आराजी खाता संख्या 291 खसरा नबंर 159 रकबा 3.35 हैक्टर किस्म बारानी दोयम,खसरा नबंर 161 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम,खसरा नबंर 162 रकबा 0.29हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 163 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 164 रकबा 0.46 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 165 रकबा 0.77 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 166 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 167 रकबा 0.14 हैक्टर, किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 168 रकबा 1.89 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 169 रकबा 5.19 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 170 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 171 रकबा 0.79 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 14.87 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में लखमा 2/3 हिस्सा डुगरा 1/3 हिस्सा बराबर 6/21 हिस्सा पिसरान धना दौलाराम वल्द डुंगरा 1/21 लखमा डुंगरा पिसरान धना 2/3 कौम जाट साकिन मीरपुरा खातेदार दर्ज है। उपरोक्त आराजी में वादी संख्या 1 का [illegible]7/63 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/21 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 33/[illegible] हिस्सा खातेदारी का है तथा वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी आराजी खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

292 खसरा नबंर 160 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में लखमा 5/9 हिस्सा डुंगरा 4/9 हिस्सा कौम जाट खातेदार दर्ज है। इस प्रकार खाता संख्या 291 जुमले रकबा 14.87 हैक्टर में वादी डुंगरा का 1/3 हिस्सा में 1.417 हैक्टर तथा 2/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा रकबा 4.956 बराबर 6.373 हैक्टर का स्वामित्व व कब्जा काश्त बदस्तुर है तथा वादी दौलाराम का उक्त आराजी रकबा 14.87 हैक्टर में से 1/21 बराबर 0.7085 है। जिस पर उसका स्वामित्व व कब्जा बदस्तुर है तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लखमा का हिस्सा रकबा 7.79 हैक्टर का स्वामित्व व कब्जा काश्त है। इसी प्रकार खाता संख्या 292 रकबा 0.07 हैक्टर में वादी डुंगरा का 4/9 हिस्सा रकबा 0.03111 हैक्टर का कब्जा व स्वामित्व है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लखमा का 5/9 हिस्सा बराबर 0.0388 हैक्टर का कब्जा व स्वामित्व है।

2. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। उक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं होने से उक्त आराजी के लगान भुगतान करने व उक्त आराजी में सामलाती काश्त करने व आराजी का विकास करने में भारी परेशानियां आ रही है तथा उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से उक्त आराजी में सामलाती काश्त करने में भी भारी असुविधा हो रही है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को आज से एक माह पूर्व दिनांक 27.8.2016 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त व रास्ते की सुविधानुसार बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से मना कर दिया। तत्पचात वादीगण ने पुनःप्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 20.9.2016 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को एलानिया धमकि दी कि मै उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा नहीं करवाउगा तथा अच्छी किस्म की आराजी पर कब्जा कर दुंगा तथा तुमने ज्यादा किया तो मै बिना बंटवाडा करवाये ही उक्त आराजी को किसी अजनबी केता को बैचान कर उसे कब्जा सुपुर्द कर दुंगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को रूकवाने हेतु वादीगण के पास अन्य कोई उपचार नहीं होने से तथा वादीगण उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवा कर उक्त आराजी में से वादीगण अपने हिस्से माफिक आराजी बंट में प्राप्त करने के अधिकारी है। जिस हेतु वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

3. यह कि इस्तदुआ वादीगण है कि मौजा कोटडा तहसील रानीवाडा में स्थित आराजी खाता संख्या 291 खसरा नबंर 159 रकबा 3.35 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 161 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 162 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 163 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 164 रकबा 0.46 हैक्टर, किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 165 रकबा 0.77 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 166 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 167 रकबा 0.14 किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 168 रकबा 1.89 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 169 रकबा 5.19 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 170 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 171 रकबा 0.79 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 14.87 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर मौके पर कब्जे काश्त व रास्ते की सुविधानुसार बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी संख्या 1 को 27/63 हिस्सा, वादी संख्या 2 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

1/21 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 33/63 को हिस्सा अलग–अलग बंट अनुसार अर्थात खातेदार डुंगरा को 6.37 हैक्टर खातेदार दौलाराम को 0.7085 हैक्टर व खातेदार लखमा को 7.79 हैक्टर का बंट अलग–अलग दिया जावें। तथा आराजी खाता संख्या 292 खसरा नबंर 160 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व मौके पर कब्जे व रास्ते की सुविधानुसार बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी संख्या 1 को 4/9 हिस्सा रकबा 0.0311 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 को 5/9 हिस्सा रकबा 0.0388 हैक्टर अलग–अलग बंट में दिया जावें इसी माफिक लगान के निर्धारण हेतु भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा को आदेश फरमावें। व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 सादीर फरमाई जावे कि बाद बंटवाडा वादीगण के बंट व हक हिस्से की उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 न तो स्वयं कोई दखल या बाधा पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल या बाधा पैदा करावें।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित। तथा दिनांक 21.05.2018 को नो इन्ट्रक्सन प्लीड करने के बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने दिनांक 04.01.2021 को से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. दिनांक 04.01.2021 को न्यायालय द्वारा वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा कोटडा की विवादीत आराजी खाता संख्या 291 में खसरा नम्बर क्रमश 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 रकबा क्रमश 3.35, 0.80, 0.29, 0.04, 0.46, 0.77, 0.45, 0.14, 1.89, 5.19, 0.69, 0.79 हेक्टेयर जूमले रकबा 14.87 हैक्टेयर व खाता संख्या 292 में खसरा नम्बर 160 रकबा 0.07 हेक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट /2021/74 दिनांक 15.01.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2021/590 दिनांक 14.07.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये है।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारन को पढकर सुनाया गया। वादीगण अधिवक्ताओं को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

1.	लखमा पुत्र धनाराम कौम जाट सा. मीरपूरा खातेदार रहन : आरएमजीबी करड़ा	160	0.07	0.07	गै.मू. ढाणी	हरा	—
		159	3.35	3.35	बा. दो.		10.05
		169	5.19	2.93	बा.दो.		8.79
		170	0.69	0.69	बा.दो.		2.07
		171	0.79	0.79	बा.दो.		2.37
	कुल	5		7.83			23.28
2.	दौलाराम पुत्र डूंगरा ,डूंगरा पुत्र धना कौम जाट सा. मीरपूरा खातेदार रहन : आरएमजीबी करड़ा	161	0.81	0.81	बा.दो.	गुलबी	2.43
		162	0.29	0.29	बा.दो.		0.87
		163	0.04	0.04	बा.दो.		0.12
		164	0.46	0.46	बा.दो.		1.38
		165	0.77	0.77	बा.दो.		2.31
		166	0.45	0.45	बा.दो.		1.35
		167	0.14	0.14	बा.दो.		0.42
		168	1.89	1.89	बा.दो.		5.67
		169	5.19	2.26	बा.दो.		6.78
	कुल	9		7.11			21.33

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.11.20[illegible] गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मृतक डूंगरा पुत्र धनाजी के कायम मूकाम वारीसान 1/1 अणसीदेवी पत्नि डूंगरा 1/2 कमला पुत्री डूंगरा 1/3 अनु पुत्री डूंगरा 1/4 मगा पुत्र डूंगरा 1/5 देदा पुत्र डूंगरा 2. दौलाराम पुत्र डूंगराजी जातियान जाट निवासीयान मीरपूरा हाल निवासी कोटडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. लखमा पुत्र धनाजी जाति जाट निवासी मीरपूरा हाल निवासी कोटडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदारजी, रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 53/2016

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई, प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 की ओर कोई उपस्थित नहीं होने एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	लखमा पुत्र धनाराम कौम जाट सा. मीरपूरा खातेदार रहन : आरएमजीबी करड़ा	160	0.07	0.07	गै.मू.ढाणी	हरा	–
		159	3.35	3.35	बा. दो.		10.05
		169	5.19	2.93	बा.दो.		8.79
		170	0.69	0.69	बा.दो.		2.07
		171	0.79	0.79	बा.दो.		2.37
	कुल	5		7.83			23.28
2.	दौलाराम पुत्र डूंगरा ,डूंगरा पुत्र धना कौम जाट सा. मीरपूरा खातेदार	161	0.81	0.8[illegible]	बा.दो.	गुलबी	2.43
		162	0.29	0.29	बा.दो.		0.87

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 19:13:49 IST
Reason: SelfAttested

	रहन : आरएमजीबी करड़ा	163	0.04	0.04	बा.दो.		0.12
		164	0.46	0.46	बा.दो.		1.38
		165	0.77	0.77	बा.दो.		2.31
		166	0.45	0.45	बा.दो.		1.35
		167	0.14	0.14	बा.दो.		0.42
		168	1.89	1.89	बा.दो.		5.67
		169	5.19	2.26	बा.दो.		6.78
	कुल	9		7.11			21.33

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25.11.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested